



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19082023-248185
CG-DL-W-19082023-248185

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 30] नई दिल्ली, अगस्त 6—अगस्त 12, 2023, शनिवार/श्रावण 15—श्रावण 21, 1945
No. 30] NEW DELHI, AUGUST 6—AUGUST 12, 2023, SATURDAY/SHARAVNA 15—SHARAVNA 21, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 91.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर (सफाई कर्मचारी) भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ में बहुकार्यकर्मचारीवृन्द (सफाई कर्मचारी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

		<p>Organisation, (South Zone) Chennai - Member;</p> <p>3. Group 'A' Officer of an Office or Laboratory under Director General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare.</p> <p>- Member.</p> <p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <p>1. Director, Central Drugs Testing Laboratory Chennai</p> <p>-Chairman;</p> <p>2. Deputy Drugs Controller (India) Central Drugs Standard Control Organisation, (South Zone) Chennai - Member;</p> <p>3. Group 'A' Officer of an Office or Laboratory under Director General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare.</p> <p>- Member.</p>	
--	--	--	--

[F. No. A.12018/4/2020-DR-(PT.VI)]

BIKASH R. MAHATO, Under Secy.

वस्त्र मंत्रालय**[विकास आयुक्त कार्यालय (हस्तशिल्प)]****(राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय)**

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2023

सा.का. नि. 95.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय (अनुरक्षण अधिकारी और स्टोर पर्यवेक्षक) भर्ती नियम, 1993 को, जहाँ तक उनका संबंध अनुरक्षण अधिकारी से हैं, और विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय (समूह 'ग' और 'घ' पदों) भर्ती नियम, 1994 को, जहाँ तक उनका संबंध प्रदर्शनी अधिकारी से हैं, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, विकास आयुक्त कार्यालय (हस्तशिल्प) में प्रदर्शनी अधिकारी और अनुरक्षण अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त कार्यालय (हस्तशिल्प), राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, प्रदर्शनी अधिकारी और अनुरक्षण अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. प्रदर्शनी अधिकारी	*01 (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (₹.35400 - 112400)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में व श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: सक्षम प्राधिकारी	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या प्रोन्नति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)— केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

<p>द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का आज्ञापक प्रारंभिक प्रशिक्षण होगा।</p>			<p>विश्वविद्यालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी:—</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रु 29200-92300) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो, और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखता हो।</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।</p> <p>(ii) कला या शिल्प संग्रहालय या अन्य संगठन या मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रदर्शनी या प्रदर्शन कार्य आयोजित करने का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>प्रोन्नति: ऐसे विभागीय गाईड लेक्चरर जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रु. 29,200 - 92,300) में उस श्रेणी में छह वर्षों की</p>	<p>(i) वरिष्ठ निदेशक (संग्रहालय) – अध्यक्ष</p> <p>(ii) निदेशक (हस्तशिल्प) – सदस्य</p> <p>(iii) मुख्यालय से उप निदेशक या संग्रहालय से प्रशासनिक अधिकारी – सदस्य</p>
--	--	--	---	--

			<p>नियमित सेवा पूरी कर ली हो और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हो, पर भी बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जायेगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी को पद पर नियुक्ति के लिए चयनित किया जाता है; तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जायेगा।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्र सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके वरिष्ठ कर्मचारियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा, बशर्त कि उनके द्वारा की गई अर्हक अथवा पात्र सेवा अपेक्षित अर्हक अथवा पात्र सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम नहीं है तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्र सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. अनुरक्षण अधिकारी	*01 (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु.35400 - 112400)	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार विभागीय सेवकों के लिए पॉच वर्ष तक की छूट की जा सकती हैं।) टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित होगी।	आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। टिप्पण 1: अहर्ताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

MINISTRY OF TEXTILES

[Office of the Development Commissioner (Handicrafts)]

(NATIONAL HANDICRAFTS AND HANDLOOMS MUSEUM)

New Delhi, the 2nd August, 2023

G.S.R. 95.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum (Maintenance Officer and Stores Supervisor) Recruitment Rules, 1993, in so far as they relate to the post of Maintenance Officer, and the Development Commissioner for Handicrafts, National Handicrafts and Handlooms Museum (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1994, in so far as they relate to the post of Exhibition Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Exhibition Officer and Maintenance Officer, in the Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum, Ministry of Textiles, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum, Exhibition Officer and Maintenance Officer (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Exhibition Officer	*01 (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400–112400)	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years Note : There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	By deputation (including short-term contract) or by promotion.	Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or University or recognised research institutes,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as below,- (i) Bachelor's Degree from a recognised University; and (ii) two years experience in organising exhibition or display work in Arts or Crafts Museum or in other organisation or recognised institution. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Senior Director (Museum) – Chairman; 2. Director (Handicrafts) – Member; 3. Deputy Director from Headquarter or Administrative Officer from Museum –Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

			<p>Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Promotion: The departmental Guide Lecturer in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) with six years regular service in the grade and having the education qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors</p>		
--	--	--	--	--	--

			who have already completed such qualifying or eligibility service.		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Maintenance Officer.	*01 (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400 – 112400).	Not applicable.	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servants up to the age of five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential: Bachelor's Degree from a recognised University or institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for	Deputation (including short-term contract)/ absorption, failing which by direct recruitment.	By deputation (including short-term contract)/ absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or autonomous body or statutory organisation or public sector undertaking or University or recognised research institution,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Senior Director (Museum) – Chairman; 2. Director (Handicrafts)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.